(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3126–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–5–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 80/अपील/2014–15.

.....

नितिन तिवारी पुत्र श्री राजेन्द्र तिवारी
निवासी ग्राम बरई हाल–जीवाजी नगर
ठाठीपुर ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–निर्मला बेवा सुरेन्द्र सिंह
2–संजय सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह
3–समीर सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह
4–संदीप पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह
निवासीगण दर्जी ओली लश्कर ग्वालियर
5–उम्मेदसिंह पुत्र सूबासिंह
निवासी चंदोखर तहसील व जिला भिण्ड

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/2/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–11–1996 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 12–9–14 को 17 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 80/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 27–5–2015 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये तथा साथ ही उभयपक्ष अधिवक्ताओं को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये मौखिक तर्को को ही विचार में लिया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय सीमा में द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में उनके द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये भी उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि जब आवेदक द्वारा भूमि का सीमांकन कराये जाने की कार्यवाही की गई, तब उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी हुई । इस कारण भी अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मानकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 4–2–16 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर दिया गया है

इसलिये यह निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की जानकारी आवेदक को प्रारंभ से ही रही है और उनके द्वारा जानबूझकर अत्यधिक अवधि बाह्य द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा धारा 5 के आवेदनपत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, इसलिये भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि कय करने के पूर्व ही विक्रेता का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हक नहीं रह गया था । इस प्रकार आवेदक को भी प्रश्नाधीन भूमि कय करने के कारण कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । इस कारण विलम्ब क्षमा किये जाने का लाभ आवेदक को प्राप्त नहीं हो सकता है, अतः अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर